संख्या-5/2017/294/52-3-2017-बजट(9)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2017

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोज□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4357/□0□0□0□□0/□□0□□0□□0/2016, दिनांक 27.2.2017 □□□ □□□□□□□ □0-2522/52-3-16-□□□(9)/2016, दिनांक 10.02.2017 □□ □□□□ संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-2522/ 52-3-16-□□□(9)/2016, दिनांक 10.2.2017 के प्रस्तर-1 की छठी पंक्ति ".....□□□□□□ □0-2855/52-3-2014-□□(8)/2014, दिनांक 06.01.2014....." के स्थान पर दिनांक 06.01.2015 □□□ □□□□

3. प्रश्नगत प्रकरण में आप द्वारा शासनादेश दिनांक 06.01.2015 की व्यवस्थानुसार अथवा शासनादेश दिनांक 28.11.2016 की व्यवस्थानुसार द्वितीय किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने हेतु यह शासनादेश किस तिथि से प्रभावी होगा, शासन स्तर से निर्देश चाहा गया है। चूंकि इस संबंध में शासनादेश में कोई उल्लेख नही है। अतः यह शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 28.11.2016 से प्रभावी माना जायेगा। शासनादेश दिनांक 10.02.2017 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-294(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□
2- □□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□□
3- मुख्य कोषाधिकारी, केस□□□□, □□□□□
4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□
5- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा □□

(दीनानाथ)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।